न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 18 / 2025

1. पवन कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल जाति कुम्हार निवासी श्योपुरी तहसील श्रीबिजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलदीप उर्फ दीपू पुत्र कृष्णलाल (माता मूर्ति देवी पुत्री मोतीराम) जाति कुम्हार निवासी श्योपुरी तहसील श्रीबिजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट्स

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री मोतीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—23, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

असल रेस्पोडेंट

3. रामलाल पुत्र श्री मोतीराम जाति कुम्हार निासी वार्ड नम्बर 03, नई खुन्जा, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. महावीर पुत्र श्री मोतीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—22 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. शारदा देवी पुत्री श्री मोतीराम पत्नी सतपाल जाति कुम्हार निवासी भट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. विमला देवी पुत्री श्री मोतीराम पत्नी धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी नट्टा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. ममता देवी पत्नी श्री प्यारेलाल पुत्री श्री कृष्णलाल (माता मूर्ति देवी पुत्री मोतीराम) जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—22, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. इन्द्रा देवी पत्नी स्व.श्री महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—23, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. ज्योति पुत्री स्व.श्री गहेन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—23, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. रिंकू पुत्र स्व.श्री महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—23, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. उमेश पुत्र स्व.श्री महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—23, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. प्रियंका पुत्री स्व.श्री महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर—23, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.11.2019 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), पीलीबंगा जिसकी रूह से नामान्तरण रेस्पोडेंट संख्या—1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। बमुराद मन्सुखी उक्त आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः— 1. श्री राजेश दीप राय अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकिय अधिवक्ता।

—:निर्णयः—

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

दिनांकः–19.08.2025

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मोतीराम पुत्र कुरड़ाराम के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 8 एसटीबी के पत्थर नम्बर 56/354 (16) किला नम्बर 1 ता 23 कुल 4.833 हैक्टेयर में 3.226 हैक्टेयर नहरी खातेदारी दर्ज है तथा अपने प्रार्थना पत्र में यह अभिवचन किये कि जिसकी अभिकथित वसीयत नोटेरी पब्लिक हनुमानगढ़ के यहां दिनांक 25. 10.2010 को रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में करवाए जाने के कथन किये तथा अभिकथित वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पटवारी हल्का रो रिपोर्ट ली। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना प्रकाशित करने के आदेश दिये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने शपथ पत्र रेस्पोडेंट बाबूलाल, निर्मल सिंह पुत्र रणजीत सिंह व जाकिर हुसैन पुत्र हसन अली शामिल मिसल कर उक्त शपथ पत्र के आधार पर दिनांक 01. 11.2019 को वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये। मोतीराम के चार पुत्र क्रमशः रामलाल, महावीर महेन्द्र व बाबूलाल व तीन पुत्रीयां मूर्तिदेवी, शारदा देवी व विमला देवी है। मूर्ति देवी फौत हो चुकी है जिसके जायज व कानूनी वारिसान अपीलांट है। प्रश्नगत भूमि पैतृक होने के कारण अपीलांट की माता का भी हक व हिस्सा है। अपीलांट की माता फौत हो जाने के कारण अपीलांट उसके जायज व कानूनी वारिसान होने के कारण आक्षेपित आदेश से अपीलांट विपरीत रूप से प्रभावित है। रेस्पोडेंट संख्या–1 ने जानबूझकर अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त परिस्थितियों में उक्त अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.11.2019 पारित कर नामान्तरण रेस्पोडेंट संख्या–1 बाबूलाल के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये तथा उक्त आक्षेपित आदेश के अनुसरण में रेस्पोंडेंट संख्या–1 के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट अथवा मोतीराम के समस्त वारिसान को कोई सूचना सम्प्रेषित नहीं की। आक्षेपित आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। अपीलांट के पड़नाना स्व. कुरढाराम ने पत्थर नम्बर 50/354 किला नम्बर 24, 25 व पत्थर नम्बर 66/355 किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6.580 हैक्टेयर में से 3.290 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने पुत्र व मोतीराम के भाई रामचन्द्र के नाम सीधे ही बैयनामा करवा दिया। तत्पश्चात् अपीलांट के नाना मोतीराम ने एक राजस्व वाद 40/2000 बअनबानी मोतीराम बनाम रामचन्द्र न्यायालय सहायक कलैक्टर, पीलीबंगा में प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि सहदायिक सम्पत्ति होने का कथन किया जिस पर माननीय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा ने दिनांक 01.08.2000 को उक्त बाद पत्र डिक्री करते हुए प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलांट के नाना के नाम दर्ज करने के आदेश दिये व इसी आधार पर राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि अपीलांट के नाना मोतीराम के नाम दर्ज हुई। कानूनन पैतृक सम्पति की वसीयत नहीं हो सकती लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई आदेश पारित किया है। अपीलांट श्रीगंगानगर जिला के तहसील श्रीबिजयनगर के गांव श्योपुरी के निवासी है। अभिकथित तहसीलदार द्वारा अभिकथित अखबार में साया करवाया गया है। उक्त अखबार का गांव श्योपुरी में वितरित नहीं होता है। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को मोतीराम के समस्त वारिसान को विधि अनुसार नोटिस प्रेषित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से प्रश्नगत भूमि की मौका की रिपोर्ट मंगवाई जिसमें पटवारी हल्का ने प्रश्नगत भूमि पर मोतीराम के समस्त वारिसान का कब्जा होने के स्पष्ट कथन किये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभिकथित वसीयत के गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों को अधीनस्थ न्यायालय ने परिशीलन किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है। अभिकथित वसीयत के गवाहान व बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र से अभिकथित वसीयत मोतीराम द्वारा निष्पादित होना साबित नहीं होती, लेकिन इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया है। अभिकथित वसीयत न तो मोतीराम द्वारा निष्पादित की गई तथा ना ही मोतीराम को अभिकथित वसीयत निष्पादित करने का अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बंध में पैतृक होने के सम्बंध में जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज किया है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना सम्प्रेषित नहीं की तथा ना ही अपीलांट को पक्षकार बनाया गया। आक्षेपित आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है जो एकपक्षीय है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 के नाम दर्ज होने का ज्ञान सिविल न्यायालय में रामलाल आदि द्वारा प्रस्तुत दीवानी बाद संख्या 95/2023 न्यायालय सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा बअनवानी रामलाल आदि बनाम बाबूलाल आदि के वाद पत्र में हाजिर होने के पश्चात् पता चला। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट को आक्षेपित आदेश के बारे में नहीं बताया गया। अपीलांट ने दिनांक 10.01.2025 को उक्त प्रकरण की समस्त पत्रावली की नकलें प्राप्त कर रेस्पोडेंट संख्या–1 के नाम भूमि किस प्रकार से दर्ज हुई, के सम्बंध में अन्य अधिवक्ता से राय ली तब अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश के सम्बंध में अपीलांट को बताया तथा पैतृक सम्पत्ति का वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं हो सकता, इस कानूनी बिन्दु के सम्बंध में भी अपीलांट को राय प्राप्त हुई। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं थी, अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 01.11.2019 को अपास्त किया जावे तथा इसके आधार पर जारी नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 एवं 03 ता 12 को रजिस्टर्ड सम्मन तामील होने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 01.11.2019 को अपास्त किया जावे तथा इसके आधार पर जारी नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.11.2019 जो विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स ने बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलांट्स व रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण इनके विधिक हक विवादित भूमि में होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट्स अंतर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि:–

1. तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01–11–2019 से पूर्व गवाह श्री निर्मल सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी मक्कासर एवं जाकीर हुसैन पुत्र हसन अली निवासी मण्डी पीलीबंगा के बयान लिया जाकर वसीयत के निष्पादन की जांच की है और सार्वजनिक आपत्ति भी आमंत्रित की गई है। जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त होना रिकार्ड पर नहीं है। अपीलांट से भी कोई आपत्ति प्रस्तुत करना पत्रावली में नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार पीलबंगा द्वारा बाद जांच दिनांक 01–11–2019 को आदेश पारित किया गया है।
2. अपीलांट द्वारा कथन किया की भूमि पैतृक है परन्तु भूमि पैतृक होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है, केवल कथनों के आधार पर अधिकारों का सृजन या राजस्व प्रकरणों में निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में अपीलांट अपने हको के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़